

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-284/2021

इस कार्यालय के पत्रांक-का०/283/अरे-अम/पा.स्था./लिपिकीय संवर्ग/सोन दिनांक-13.05.2020 एवं मरेप्र(का०) समस्तीपुर मंडल/पूमरे का पत्रांक-का/283/या(डी) ज.वि.प्र./अमअरे/ निजी अनुरोध/ निजी अनुरोध/सम० दिनांक-25.02.21 द्वारा श्रीमति शालिनी प्रिया/ अवर लिपिक/ आर.सी.डी./ मुजफ्फरपुर, सोनपुर मंडल का निजी अनुरोध पर समस्तीपुर मंडल स्थानान्तरण पर दोनों मंडल के सक्षम अधिकारी मरेप्र महोदय द्वारा स्वीकृत है। श्रीमती शालिनी प्रिया, अवर लिपिक/ आर.सी.डी./ मुजफ्फरपुर को निजी अनुरोध पर मरेप्र/ कार्मिक/ समस्तीपुर मंडल विरमित किया जाना है।

कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित करे :-

- (1) विरमन के समय कर्मचारी DAR/ SPE/Vig प्रकरण से मुक्त हो।
- (2) नियमानुसार कर्मचारी को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/ पास/ स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- (3) नियमानुसार कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेगे।
- (4) वरीयता निजी स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश पर मयाई टी.एस.-II /सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि-III

कृते मरेप्र(का०)सोनपुर
दिनांक-03.06.2021

सं-का/283/याँ/समाडी/ पारस्परिक स्थानान्तरण /सोन

प्रतिलिपि - सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

01. मयाई टी.एस.-II /सोनपुर, वमविप्र/सोनपुर

02. मुख्य लोको निरीक्षक/ आर.सी.डी./ मुजफ्फरपुर -कृपया श्रीमती शालिनी प्रिया, अवर लिपिक/ को उचित पहचान के साथ समस्तीपुर मंडल/पूमरे विरमन हेतु इस कार्यालय को विरमित करे।

03.सम्बंधित कर्मचारी

04.मंडल मंत्री /ईसीआरकेयू,ओबीसी,अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल

कृते मरेप्र(का०)सोनपुर